

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.6(29)नविवि/3/2004

जयपुर, दिनांक :

आदेश:-

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.06.2022 के बिन्दु 11 के नोट संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त/अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि का आवंटन प्राधिकरण स्तर पर जयपुर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(टी0 रविकान्त)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने बाबत।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

(सचिव, जयपुर)
Digitally signed by Ravi Kanti
Designation: Principal Secretary To
Government
Date: 2023.06.05 16:31:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3975941

